रजिस्ट्री स. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 1990/आषाढ़ 18, 1912
No. 277] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 1990/ASADHA 18, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1990

सा. का. नि. 625(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट प्रथम श्रेणी अधिकारी (सेवा निवृत्ति के बाद रोजगार की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. पी. आर-12016/9/90-पी. ई.-I]

एम. एन. कक्कड़, संयुक्त सचिव

अनुसूची

मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 124 के अन्तर्गत कोचिन पोर्ट ट्रस्ट एतद्द्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के प्रथम श्रेणी अधिकारी (सेवा निवृत्ति के बाद रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 1973 का संशोधन के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट प्रथम श्रेणी अधिकारी (सेवा निवृत्ति के बाद रोजगार की स्वीकृति) संशोधन विनियम, 1990।

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—इन विनियमों का नाम "कोचिन पोर्ट ट्रस्ट प्रथम श्रेणी अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार की स्वीकृति) संशोधन विनियम 1990" है।

(2) कोचिन पोर्ट ट्रस्ट प्रथम श्रेणी अधिकारी (सेवा-निवृत्ति के बाद रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 1973 (आगे उक्त अधिनियम के आधार पर अभिप्रेत हो) में खण्ड (ङ) के लिए विनियम 2 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङ.) "प्रथम श्रेणी पद" का वही अर्थ होगा जिसके लिए नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय के पत्र सं. पी डब्ल्यू/पी ई ओ-2/89 दि. 1-2-84 द्वारा अनुमोदित शर्तों के अनुसार अधिकतम वेतनमान रु. 1930/- से अधिक या समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमान है"।

(3) उक्त विनियमों में,

(क) विनियम 8 में उप-विनियम (4) और (5) काट दिया जाएगा।

(ख) वर्तमान उप-विनियम 6 उप-विनियम (4) के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा।

(4) उक्त विनियमों में,

(क) वर्तमान विनियम 6 विनियम के रूप में पुनः अंकित किया जाएगा।

(ख) निम्नलिखित विनियम, विनियम 6 और 7 के रूप में जोड़ दिए जाएंगे।

"6. अनुमति मानने या इनकार करने की शर्तें:—एक अधिकारी को किसी रोजगार स्वीकृत करने के लिए विनियम 3 या 4 या 5 के अन्तर्गत अनुमति मानने या इनकार करने में निम्नलिखित बातों पर अध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

1. स्वीकृत करने के लिए प्रस्तावित रोजगार का स्वभाव और नियोक्ता के पूर्ववृत्त;

2. स्वीकृत करने के लिए प्रस्तावित रोजगार में उनकी ड्यूटी बोर्ड के समक्ष विरोध लाने की तरह है या नहीं,

3. क्या सेवा में रहते समय अधिकारी का अपने नियोक्ता, जिसके अधीन वे काम करने के लिए प्रस्ताव रखते है, के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है जिससे यह सन्देह के लिए कोई आधार मिलता है कि ऐसे अधिकारी द्वारा उस नियोक्ता से पक्षपात किया है या नहीं ;

4. क्या प्रस्तावित रोजगार में निहित कर्तव्य का बोर्ड के साथ संपर्क या ठेके रहते हैं ;

5. क्या उनकी ड्यूटियां इस प्रकार की होगी जिससे बोर्ड के अधीन अनके पिछले पदीय हैसियत या जानकारी या परिचय प्रस्तावित नियोक्ता को कोई प्रतिकूल फायदा उत्पन्न करने योग्य है;

6. प्रस्तावित नियोक्ता द्वारा निश्चित परिलब्धियां, और

7. कोई अन्य सुसंगत बात

7. अपील:—लागू होने वाले किसी भी शर्तों के अनुसार अध्यक्ष अनुमति मानने या इनकार करने पर उस अधिकारी द्वारा इससे सम्बन्धित अध्यक्ष का आदेश मिलने से 30 दिनों के अन्दर केन्द्रीय सरकार को एक प्रतिवेदन देना है जो ऐसे शर्तों या इनकार के विरुद्ध और सरकार द्वारा उचित आदेश बनाया जाए।

बशर्ते कि किसी शर्तों के बिना ऐसी अनुमति मानना या ऐसी शर्तें इनकार करने के आदेश के अलावा अन्य आदेश, इस उप-विनियम के अन्तर्गत, प्रतिवेदन बनाने वाले अधिकारी को बनने के लिए प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण देने के लिए मौका देने के बिना, बनाया जाएगा।"

पाद टिप्पणी:— मंत्रालय के पत्र सं. पी ई एक्स-8/74 दि. 26-2-74 के अनुसार भारत सरकार द्वारा मुख्य विनियमों की अनुमति दी गई और अधिसूचना सं. पी/78/69 दिनांक 9-3-79 द्वारा केरल राजपत्र में पुनः प्रकाशित किया गया। तदनन्तर

(1) मंत्रालय के पत्र सं. पी ई एक्स-75/76 दि. 9-11-76 द्वारा इन विनियमों का संशोधन किया गया और अधिसूचना सं. पी2/6047/76 दि. 14-12-76 द्वारा केरल राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

(2) कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की अधिसूचना सं. पी. 2/4634/76 दि. 21-6-77 केरल राजपत्र दि. 5-7-77 में पुनः प्रकाशित किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1990

G.S.R. 625(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (i) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Class I Officers of the Cochin Port Trust (Acceptance of Employment after Retirement) Amendment Regulations, 1990 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin and set out in the Schedule annexed to this notification.

The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016/9/90-PE.I]
S. N. KAKAR, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Cochin Port Trust hereby makes the

following Regulations to amend the Class I officers of the Cochin Port Trust (Acceptance of Employment after Retirement) Regulations, 1973, under Section 124 of the said Act :—

Class I Officers of the Cochin Port Trust (Acceptance of Employment after Retirement) Amendment Regulations, 1990.

(1) Short title and commencement:—These regulations may be called the "Class I Officers of the Cochin Port Trust (Acceptance of Employment after Retirement) Amendment Regulations, 1990".

(2) In the Class I Officers of the Cochin Port Trust (Acceptance of Employment after Retirement) Regulations, 1973, (hereinafter referred to as the said Regulations), in Regulation 2, for Class (d), the following shall be substituted, namely :—

"(d) "Class I Post" shall mean the posts carrying a scale of pay the maximum of which is more than Rs. 1930/- in terms of pay scales approved vide MOST's letter No. PW/PEO-2/84 dated 1-2-84 or as may be revised from time to time."

(3) In the said Regulations,

(a) In Regulation 3, sub-regulations (4) and (5) shall be deleted.

(b) The existing sub-regulation (6) shall be renumbered as sub-regulation (4)

(4) In the said regulations,

(a) The existing Regulation 6 shall be renumbered as Regulation 8.

(b) The following Regulations shall be inserted as Regulations 6 and 7.

"6 Conditions for grant or refusal of permission.—In granting or refusing permission under regulation 3 or 4 or 5 to an officer for taking up any employment, the Chairman shall have regard to the following factors, namely :—

1. The nature of employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

2. Whether his duties in the employment which he proposes to take up might be as to bring him into conflict with the Board;

(3) Whether the officer while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to seek employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such Officer had shown favours to such employer.

(4) Whether the duties of the employment proposed involve liaison or Contract work with the Board;

(5) Whether his duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under the Board could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

(6) the emoluments offered by the proposed employer; and

(7) any other relevant factor.

7. Appeal.—When the Chairman grants the permission, applied for subject to any conditions or refuses such permission, the officer may, within thirty days of receipt of the order of the Chairman to that effect, make a representation to the Central Govt. against any such conditions or the refusal and the Govt. may make such orders thereon as it deems fit.

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the officer making the representation as opportunity to show cause against the order proposed to be made."

FOOTNOTE :—The principal Regulations were approved by the Government of India vide Ministry's letter No. PEX-8/74 dated 26-2-74 and republished in the Gazette of Kerala vide Notn. No. P/78/69 dated 9-3-74. The Regulations were subsequently amended vide :

(1) Mty.'s letter No. PEX-75/76 dated 9-11-76 and republished in the Gazette of Kerala vide Notn.No. P2/6047/76 dated 14-12-1976.

(2) CPT's Notn. No. P2/4634/76 dated 21-6-77 republished in the Gazette of Kerala dated 5-7-77.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990